



प्रॉपर्टी के विवाद में हुई थी बजरंगी की हत्या

- अजीतगंज थाना बाबूपुरवा के प्लाट को लेकर चल रहा था विवाद
- 29 दिसंबर की दोपहर को परसौली में हुआ था बजरंगी पर हमला
- गंभीर रूप से घायल बजरंगी की इलाज के दौरान हुई थी मौत
- 15 हजार का इनामी और शातिर किस्म का अपराधी है दीपक
- पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके खोला हत्याकांड

कानपुर: बजरंगी उर्फ वीरु मौर्या की हत्या थाना बाबूपुरवा के अजीतगंज स्थित प्लाट को लेकर चल रहे विवाद के कारण हुई थी। 29 दिसंबर को हुई मारपीट में घायल बजरंगी की अगले दिन मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाकर मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि हत्याकांड और विवाद में शातिर किस्म और 15 हजार का इनामी दीपक कनौजिया शामिल है। डीसीपी साउथ ने अपनी स्पेशल टीमों को लगाकर हत्या कांड में शामिल तीनों आरोपियों को दबोच लिया।

मृतक बजरंगी उर्फ वीरु मौर्या प्लंबरिंग करने के साथ ही प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। इसी बीच थाना बाबूपुरवा के अजीतगंज स्थित प्लाट जो कि राजू अग्रवाल का है। राजू भी शातिर किस्म का अपराधी है। इसी प्लाट को लेकर बजरंगी उर्फ वीरु मौर्या का राजू और दीपक से विवाद चल रहा था। 29.12.2022 को परसौली में दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट हुई। जिसमें बजरंगी घायल हो गया था। इस मामले में थाना बिधनू पर मु0अ0सं0 612/2022 धारा 308/326/325 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत पंजीकृत किया गया था। इलाज के दौरान बजरंगी उर्फ वीरु मौर्या की मृत्यु हो गयी विवेचना क्रम में उक्त अभियोगों में धारा 302/201 भादवि में परिवर्तित कर वांछित अभियोगों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण- 1. दीपक कनौजिया पुत्र स्व.जीवनलाल नि0 भैरोघाट सिविल लाइन थाना कोहना कानपुर नगर 2. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजू गर्ग पुत्र स्व.शंकर लाल नि0 गोविन्द नगर थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर 3. . योगेश उर्फ पंकज सविता पुत्र चक्रपाल सविता नि0 परसौली थाना विधनू कानपुर नगर अस्थाई पता नि0 ग्राम मुईआ थाना घाटमपुर को रविवार को तुलसियापुर तिराहे से आगे परसौली भट्टा के पास थाना विधनू से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. दीपक कनौजिया पुत्र स्व.जीवनलाल उम्र 36 वर्ष नि० हाल पता म०न० 27 सकरापुर थाना विधनू कानपुर नगर स्थाई पता 6/18बी भैरोघाट थाना कोहना कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 91/2010 धारा 34/302/394/406/411 भादवि थाना कोहना कानपुर नगर
2. मु०अ०सं० 98/2010 धारा 223/224 भादवि थाना कोहना कानपुर नगर
3. मु०अ०सं० 102/2010 धारा 307 भादवि थाना कोहना कानपुर नगर
4. मु०अ०सं० 103/2010 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोहना कानपुर नगर
5. मु०अ०सं० 139/10 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना कोहना कानपुर नगर
6. मु०अ०सं० 154/2004 धारा 307 भादवि थाना कोहना कानपुर नगर
7. मु०अ०सं० 156/2004 धारा 4/5 विस्फोटक अधि० थाना कोहना कानपुर नगर
8. मु०अ०सं० 198/2010 धारा 379/411 भादवि थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर
9. मु०अ०सं० 217/2003 धारा 379/411 भादवि थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर
10. मु०अ०सं० 343/2007 धारा 379/411 भादवि थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर
11. मु०अ०सं० 352/2007 धारा 379/411 भादवि थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर
12. मु०अ०सं० 353/2007 धारा 379/411/414/420 भादवि थाना स्वरूपनगर कानपुर नगर
13. मु०अ०सं० 360/2021 धारा 380/411/427/457 भादवि थाना नौबस्ता कानपुर नगर
14. मु०अ०सं० 98/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना नबावगंज कानपुर नगर
15. मु०अ०सं० 97/2018 धारा 18/20 स्वापक ओषधि अधि० थाना कोहना कानपुर नगर
16. मु०अ०सं० 921/2016 धारा 380/411/457 भादवि थाना चकेरी कानपुर नगर
17. मु०अ०सं० 98/18 धारा 420/468 भादवि थाना कोहना कानपुर नगर

2. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजू गर्ग पुत्र स्व.शंकर लाल उम्र करीब 59 वर्ष नि० 97/98 संजय टावर गोविन्द नगर थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 80/2000 धारा 2/3 यू.पी. गैग्रेस्टर एक्ट थाना सरोजनी नगर लखनऊ
2. मु०अ०सं० 162/2000 धारा 323/504/506 भादवि थाना फजलगंज कानपुर नगर
3. मु०अ०सं० 292/2011 धारा 323/504/506 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद इलाहाबाद

4. मु0अ0सं0 233/2011 धारा 506 भादवि थाना कोतवाली कानपुर नगर
5. मु0अ0सं0 211/2014 धारा 302/120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 7 सीएल ए एक्ट
6. मु0अ0सं0 586/2014 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर
7. मु0अ0सं0 179/2015 धारा 307/120बी भादवि थाना किदवईनगर कानपुर नगर
8. मु0अ0सं0 3964/2013 धारा 420/457/469/471/120बी 34 भादवि थाना भडौरा जनपद छपरा बिहार
9. एनसीआर नं0 65/2016 धारा 506 भादवि थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर
10. एनसीआर नं0 40/2017 धारा 504/506 भादवि थाना किदवईनगर कानपुर नगर
11. मु0अ0सं0 304/2016 धारा ¾ यूपी. गुण्डा अधि0 थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर
12. एनसीआर नं0 07/2018 धारा 504/506 भादवि थाना किदवईनगर कानपुर नगर
13. मु0अ0सं0 305/2015 धारा 461/379/427/120बी भादवि थाना भडौरा सारण बिहार
15. मु0अ0सं0 131/2018 धारा ¾ यूपी0 गुण्डा अधि0 थाना किदवईनगर कानपुर नगर

3. योगेश उर्फ पंकज सविता पुत्र चक्रपाल सविता उम्र करीब 28 वर्ष नि0 परसौली थाना बिधनू कानपुर नगर स्थाई पता नि0 ग्राम मुईआ घाटमपुर कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास - 1. मु0अ0सं0 612/22 धारा 308/326/325 भादवि तरमीम धारा 302 भादवि थाना बिधनू कमिश्नरेट कानपुर नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में- थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह, उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह, उ0नि0 अरविन्द कुमार, उ0नि0 मुकेश कुमार सिंह, उ0नि0 यूटी0 शिवा सिंह, उ0नि0 यूटी0 सेटू सिंह, हे0का0 मिथलेश शुक्ला, हे0का0 राष्ट्रपाल, हे0का0 राजकिशोर भदौरि, हे0का0 राजेन्द्र कुमार

सर्विलान्स टीम- उ0नि राकेश सिंह प्रभारी सर्विलान्स सेल दक्षिण, उ0नि0 सनिक मलिक, हे0का0 शिववीर सिंह, का0 अक्षय कुमार, का0 मयक यादव, का0 शोभित

स्वाट टीम- उ0नि0 सुखराम सिंह रावत प्रभारी स्वाट टीम दक्षिण, उ0नि0 अजय गंगवार, हे0का0 धीरेन्द्र सिंह, हे0का0 अजय सिंह सेगर, हे0का0 अकुर भदौरिया, का0 तेजप्रताप सिंह